(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2471–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–06–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन म0प्र0 प्रकरण कमांक 2/अ–70/2014–15

.....

1. मेहनलाल पिता आत्मारामजी
   निवासी महावरी बाग उज्जैन
2. लक्ष्मीनारायण पिता आत्मराम
3. मनोहर पिता आत्माराम
4. कैलाश पिता आत्माराम
5. बाबूलाल पिता आत्माराम
   निवासी–ग्राम केसुनी, तहसील व
   जिला–उज्जैन (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

पन्नालाल पिता चेनाजी
निवासी–ग्राम केसुनी, तहसील व
जिला–उज्जैन (म0प्र0) ..... अनावेदक

.....

श्री मोहनलाल कुराड़, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकों के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक ने आवेदकगण की बिना जानकारी के सीमांकन कराया तथा सीमांकन के पश्चात धारा 250 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को आवेदन दिया जिसपर प्रकरण दर्ज कर आवेदकगणों से जबाव मांगने हेतु पेशी नियत की गई। आवेदकगण ने सिविल न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष एक सॉंपत्तिक वाद कमांक 16–ए/14 प्रस्तुत किया जिसमें आवेदकगणों के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16–2–15 को प्रदान की गई जिसके अनुसार आवेदक को विधि की सम्यक प्रकिया के पालन के बिना अनावेदक के आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा न करने एवं किसी अन्य के माध्यम से कब्जा न करवाने का आदेश व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रदान किया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रति सहित प्रकरण व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन होने से कार्यवाही स्थगित रखे जाने हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5–6–15 आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर प्ररण जबाव हेतु नियत करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि जब न तो किसी को स्वयं कब्जा करने अथवा न ही किसी अन्य के माध्यम से करवाये संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया गया था तो तहसीलदार को विचाराधीन कार्यवाही को व्यवहार न्यायालय के अंतिम निराकरण तक स्थगित करना चाहिए थी। अतः तहसीदार का आदेश निरस्त किया जाये।

3/ आवेदकों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रकरण में बेकब्जा किये गये व्यक्ति को भूमि पर पुनर्स्थापन की कार्यवाही धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में उल्लेखित है, अतः इस आशय के तहत की जा रही कार्यवाही विधि के सम्यक प्रकिया के पालन में की जाना स्पष्ट है अतः प्रकरण में आगामी कार्यवाही रोके जाने का कोई औचित्य तहसीलदार ने

नहीं माना। सिविल न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 ने अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16—2—15 में विधि की सम्यक प्रकिया के पालन के बिना वादी के आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो स्वयं कब्जा करे न ही किसी अन्य के माध्यम से करवाये के निर्देश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत विधि की सम्यक प्रकिया को अपनाकर प्रकरण आवेदकगण के जबाव हेतु नियत है अभी किसी प्रकार का कोई बेदखली का आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः तहसीलदार के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी में ग्राह्यता का आधार प्रकट न होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर